<u>न्यायालयः</u>— <u>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला</u>—अशोकनगर (पीठासीन अधिकारीः—जफर इकबाल)

<u>फाइलिंग नंबर 235103002912016</u> <u>दांडिक प्रकरण क.—329 / 16</u> संस्थापित दिनांक—07.09.16

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :—	
आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।	
	अभियोजन
विरुद्ध	
01—अब्दुल बहीद पुत्र	अब्दुल हमीद आयु 35 वर्ष निवासी
हाटकापुरा बाहर शहर चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0	
	आरोपी
राज्य द्वारा	:– श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।
आरोपी द्वारा	:– श्री जाफरी अधिवक्ता i

—ः <u>निर्णय</u>ः— (आज दिनांक 10.03.2018 को घोषित)

- 01— आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपी के विरूद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 323, 354 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।
- 02- प्रकरण में कोई उल्लेखनीय स्वीकृत तथ्य नहीं है।
- 03— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि आरोपी का फरियादी से राजीनामा हो गया

है जिसके फलस्वरूप आरोपी को भादिव की धारा 323 के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है। यह निर्णय भादिव की धारा 354 के संबंध में पारित किया जा रहा है।

- 04— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी रिजवाना ने दिनांक 20.07.16 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 20.07.16 समय 20:00 बजे फरियादी के मकान माधव नगर चंदेरी में आरोपी दरवाजे पर आकर पीछे से उसकी कमर में हाथ डाल दिया तथा बुरी नियत से आरोपी ने उसकी छाती दबाई। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपीके विरुद्ध अपराध कमांक 343/16 के अंतर्गत भादवि की धारा 323, 354 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
- 05— प्रकरण में आरोपी के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 323, 354 के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपी का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण नहीं किया गया।
- 06- प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--
 - 1. क्या आरोपी ने दिनांक 20.07.16 को समय 20:00 बजे फरियादिया का मकान माधवनगर चंदेरी पर फरियादिया रिजवाना जो कि एक स्त्री है, उसकी लज्जा भंग करने के आशय से आपराधिक बल का प्रयोग किया ?

<u>—:: सकारण निष्कर्ष ::—</u>

07— अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 रिजवाना, अ.सा.2 नीलम सेन की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है। 08— अभियोजन साक्षी 01 रिजवाना ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपी को जानती है। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दिनाक को उसका आरोपी से वाद विवाद हो गया था तथा धक्का मुक्की हो गई थी। अ.सा.1 के अनुसार उसने घटना की रिपोर्ट प्र0पी01 लेखवद्ध कराई थी। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपी ने पीछे से बुरी नियत से उसकी कमर में हाथ डाला था। उक्त साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया है कि आरोपी ने उसके सीने पर हाथ फेरकर छेडखानी की थी। उक्त साक्षी ने आरोपी द्वारा बुरी नियत से उसकी कमर में हाथ डालने के सबंध में फरियादी के साथ छेडखानी के सबंध में अपनी पुलिस रिपोर्ट प्र0पी01 एवं कथन प्र0पी03 में अभिवचन लिखाने से इंकार किया है। अ.सा.2 नीलम सेन जो कि फरियादी का पति है ने अपने कथन में बताया है कि आरोपी से उसकी पत्नी का विवाद हो गया था। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपी ने उसकी पत्नी के साथ बुरी नियत से छेडखानी की थी।

09— अभियोजन द्वारा उपरोक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी की साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि मामले की फरियादी पक्षद्रोही हो गई है। उक्त साक्षी द्वारा इस तथ्य से इंकार किया गया है कि घटना दिनाक को आरोपी ने बुरी नियत से उसकी कमर में हाथ डाला था। उक्त साक्षी द्वारा इस तथ्य से भी इंकार किया गया है कि घटना दिनाक को आरोपी द्वारा फरियादी की छाती दबाई गई थी। इस प्रकार अभिलेख पर आई साक्ष्य से उपरोक्त तथ्य प्रमाणित नहीं हो रहे है। उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपी 354 को भादवि की धारा के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

- 10— आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।
- 11- प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं है।

12— आरोपी अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.) (जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)